रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102023-249218
CG-DL-E-06102023-249218

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 569]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 6, 2023/आश्विन 14 , 1945
No. 569]	NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 6, 2023/ASVINA 14, 1945

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2023

सा.का.नि. 722(अ).—केंद्रीय सरकार, विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (ञ) और (थ) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधिक मापविज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ–

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधिक मापविज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) संशोधन नियम, 2023 है।

(2) जैसा अन्यथा उपबंधित है इसके सिवाय, ये नियम 1 जनवरी 2024 से प्रवृत्त होंगे।

2. विधिक मापविज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 में, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 2 में, खंड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

(ट, क) "संयोजन पैकेज" से खुदरा बिक्री के लिए पैकेज, जिसमें भिन्न वस्तुओं के दो या अधिक, अलग-अलग पैकेज, या अलग-अलग वस्तुएं होती हैं, अभिप्रेत है;

दृष्टांत: पैकेज जिसमें चम्मच, चाकू, कांटे, कप, नैपकिन या इसी तरह की अन्य अलग-अलग वस्तुएं अंतर्विष्ट हैं, वाला एक संयोजन पैकेज है;

(ट, ख) "ग्रुप पैकेज" से खुदरा बिक्री के लिए एक पैकेज, जिसमें दो या दो से अधिक अलग-अलग पैकेज, या अलग-अलग टुकड़े, समरूप है, लेकिन एक समान (चाहे मात्रा या आकार में) वस्तुएं नहीं है, अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण: वस्तुएं जो आम तौर पर समान होती हैं लेकिन वजन, माप या मात्रा, दिखावट या गुणवत्ता में भिन्न होते है, समान होते हैं, लेकिन एक समान वस्तु नहीं होती हैं।

दृष्टांत:

(i) एक पैकेज में निहित

दो स्पॉज-100 एमएम x 75 एमएम x 20 एमएम
एक स्पॉज -100 एमएम x 100 एमएम x 30 एमएम
चार स्पॉज-100 एमएम x 50 एमएम x 15 एमएम
एक ग्रुप पैकेज है;

(ii) वर्गीकृत बिस्कुट वाला पैकेज एक ग्रुप पैकेज हैं;

(iii) वर्गीकृत ब्रांड की समान वस्तुओं वाला एक पैकेज एक ग्रुप पैकेज है;

(ट ग) "मल्टी पीस पैकेज" से एक पैकेज जिसमें दो या दो से अधिक अलग-अलग पैक किए गए या समान मात्रा के समान वस्तुओं के लेबल वाले टुकड़े होते हैं, जो खुदरा बिक्री के लिए अलग-अलग टुकड़ों में या पूरे पैकेज में होते हैं, अभिप्रेत है:

परंतु खाद्य सामग्री वाले पैकजों के लिए, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाए गए नियम लागू होंगे।

दृष्टांत:

(i) एक पैकेज जिसमें “20 ग्राम प्रत्येक और 100 ग्राम कुल शुद्ध वजन के 5 प्रसाधन साबुन” एक बहु-टुकड़ा पैकेज है;

3. उक्त नियम में, नियम 6 के, उपनियम (i) में, तीसरे परंतुक के पश्चात् खंड (घ) में, निम्नलिखित को अंत: स्थापित किया जाएगा, जो अप्रैल 2024 के प्रथम दिन से प्रवृत्त होगा, अर्थात्:-

परंतु यह भी कि इस खंड में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए, वारंटी के साथ सर्विसिंग के प्रयोजन से उपयोग किए जाने वाले स्पेयर पार्ट्स एवं सहायक उपकरणों और अंतिम ग्राहक को विक्रय नहीं किए जाने पर लागू होंगे।

परंतु यह भी कि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, स्पेयर पार्ट्स और सहायक उपकरणों के लिए विनिर्माण के मास और वर्ष की घोषणा खुदरा पैकेज पर विशिष्टत: कहीं भी दृश्यमान और स्पष्ट रूप से सुपाठ्य रूप में होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजन के लिए, “स्पेयर पार्ट्स और सहायक उपकरण में कोई भी “भाग”, “घटक” या “सहायक उपकरण जो किसी मशीन, उपकरण या उपस्कर के प्रमुख या मुख्य उत्पाद के पूरक हैं” चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, इसमें वे पार्ट्स भी शामिल होंगे जो कि मशीन, उपकरण या उपस्कर के इच्छित प्रचालन या क्षतिग्रस्त या घिसे-पिटे हिस्से को समर्थित करने या बदलने के लिए उपयोग करने के लिए पृथक रूप से विक्रय किए जाते हैं। ”

4. उक्त नियम में, नियम 6 में, उप-नियम (11) में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

परंतु यह भी कि इन नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन परिभाषित संयोजन पैकेज या ग्रुप पैकेज या मल्टीपीस पैकेज के लिए यूनिट बिक्री मूल्य की घोषणा की आवश्यकता नहीं है।

5. उक्त नियमों में, नियम 26 में, खंड (च) में, प्रथम परंतुक के पश्चात, मद (iii) के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(iii) सेंटीमीटर या मीटर के संदर्भ मीट्रिक अंकन में उत्पाद का आकार जैसा भी मामला हो या के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाने योग्य आकार संकेतकों जैसे कि एस, एम, एल, एक्सएल, एक्सएक्सएल और एक्सएक्सएक्सएल के साथ सेंटीमीटर या मीटर के संदर्भ में, या जैसा भी मामला हो मीट्रिक अंकन में विवरण के साथ हो सकता है।

6. उक्त नियमों में, नियम 26 में, खंड (च) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(छ) इसमें ई-कॉमर्स चैनलों के माध्यम से ऑर्डर की गई खुली वस्तुएं शामिल है, जहां उपभोक्ता ऑर्डर की गई वस्तु, उसके प्रकार और मात्रा के बारे में जानते हैं;

परंतु ऐसी वस्तुओं को निम्नलिखित जानकारी वहन करनी होगी, अर्थात्:-

(i) आयात किए गए उत्पादों के मामले में मूल देश या विनिर्माण देश के साथ विनिर्माता या विपणक या ब्रांड के मालिक या आयातक या विक्रेता का नाम और पता;

(ii) कन्ज्यूमर केयर ई-मेल आईडी और फोन नम्बर;

(iii) भारतीय मुद्रा में सभी करों सहित पैकेज का अधिकतम खुदरा मूल्य; और

(iv) शुद्ध मात्रा, बाट या माप की मानक इकाई के संदर्भ में, या जहां वस्तु संख्या, वस्तु की संख्या द्वारा विक्रय की जाती है।

7. उक्त नियमों में, चौथी अनुसूची में, क्रम संख्या (11) के सामने, स्तम्भ 3 में प्रविष्टि के स्थान पर "वजन या आयतन और यदि शुद्ध मात्रा आयतन द्वारा घोषित की जाती है तो शुद्ध मात्रा वजन द्वारा भी घोषित की जाएगी" प्रविष्टि को रखा जाएगा।

[फा. सं. आई-10/22/2021 डब्ल्यू एंड एम]

निधि खरे, विशेष सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 202 (अ) तारीख 7 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 714(अ) तारीख 30 सितम्बर 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2023

G.S.R. 722(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clauses (j) and (q) of sub-section (2) of section 52 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Legal Metrology (Packaged Commodities) Amendment Rules, 2023.

(2) Save as otherwise provided, these rules shall come into force on the 1st day of January, 2024.

2. In the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, after clause (k), the following clauses shall be inserted, namely:-

'(ka) "combination package" means a package intended for retail sale, containing two or more individual packages, or individual pieces, of dissimilar commodities;

Illustration: A package containing dissimilar commodities such as, spoons, knives, forks, cups, napkins, or the like is a combination package;

(kb) "group package" means a package intended for retail sale, containing two or more individual packages, or individual pieces, of similar, but not identical (whether in quantity or size) commodities.

***Explanation*:** Commodities which are generally the same but differ in weight, measure or volume, appearance or quality are similar, but not identical commodities.

Illustrations:

(i) A package containing,-
Two sponges -100 mmx 75 mm x 20 mm
One sponge -100 mmx 100 mm x 30 mm
Four sponges -100 mmx 50 mm x 15 mm

is a group package;

(ii) A package containing assorted biscuits is a group package;

(iii) A package containing similar commodities of different brands is a group package;

(kc) "multi-piece package" means a package containing two or more individual packaged or labelled pieces of the same commodities of identical quantity, intended for retail sale, either in individual pieces or the package as a whole:

Provided that for packages containing food articles, the provisions of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) and the rules made thereunder shall apply.

Illustration:

(i) A package containing "5 toilet soap cakes of net weight 20g each and total net weight of 100 g" is a multi-piece package;';

3. In the said rules, in rule 6, in sub-rule (1), in clause (d) after the third proviso, the following shall be inserted with effect from the 1st day of April, 2024, namely:-

"Provided also that nothing contained in this clause shall apply to spare parts and accessories used for the purpose of servicing with a warranty and not sold to end customers:

Provided also that for electronic products, spare parts and accessories, the declaration of month and year of manufacture shall be specified anywhere on the retail package in a visible and clearly legible manner.

***Explanation*:** For the purpose of this clause, "spare parts and accessories shall include any "part", "component", or "accessories that are complementary to the main or core product" of a machine, device or equipment, by whatever name called, including parts that are sold separately for use in support or replacement of a damaged or worn-out part, in order to have intended operation or functioning of the machine, device or equipment.".

4. In the said rules, in rule 6, in sub-rule (11), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that declaration of unit sale price is not required for a combination package or a group package or a multi-piece package, under these rules or under any other law for the time being in force.".

5. In the said rules, in rule 26, in clause (f), in the first proviso, for item (iii), the following item shall be substituted, namely:-

"(iii) size of the product in metric notation in terms of cm or m, as the case may be, or with internationally recognizable size indicators such as S, M, L, XL, XXL and XXXL along with details in metric notation in the terms of cm or m, as the case may be;".

6. In the said rules, in rule 26, after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:-

"(g) it contains loose commodities ordered through e-commerce channels, where consumers are aware of the ordered commodity, its type and quantity:

Provided that such commodities shall bear the following information, namely:-

(i) name and address of manufacturer or marketer or brand owner or importer or seller with the country of origin or manufacture in the case of imported products;

(ii) consumer care email id and phone number;

(iii) retail sale price of the package inclusive of all taxes in the Indian currency; and

(iv) net quantity, in terms of the standard unit of weight or measure, or where the commodity is sold by number, the number of the commodity.

7. In the said rules, in the FOURTH SCHEDULE, against serial number (11), for the entry in column 3, the entry "weight or volume and if the net quantity is declared by volume, the net quantity shall also be declared by weight" shall be substituted.

[F. No. I-10/22/2021-W&M]

NIDHI KHARE, Special Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. number 202 (E), dated the 7th March, 2011 and was last amended *vide* number G.S.R. 714 (E), dated 30th September, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.10.06 22:15:33 +05'30'